



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++

Email:- registrar@ccsuniversity.ac.in

website:- www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : सम्बद्धता/1516 2025-26

दिनांक: 23/06/2026

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:-मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/210 FEDERATOION OF LEPY, ORGAN (FOLO) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) मे पारित आदेश दिनांक: 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक शिक्षा निदेशक, (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के संलग्न पत्र दिनांक 12.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जो कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/210 FEDERATOION OF LEPY, ORGAN (FOLO) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) मे पारित आदेश दिनांक: 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप शासन के संलग्न पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यवाही की सूचना तीन कार्य दिवसों में दी गयी ई-मेल (ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिससे की समयान्तर्गत सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. वयैक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रेस प्रवक्ता/वेबसाइट प्रभारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

G5028
15/06/2026
A483
5/6/26

प्रेषक.

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई - मेल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 588

/2026 - 27

दिनांक - 12/06/2026

विषय - माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/2010 FEDERATION OF LEPY, ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020 - INTERVENTION APPLICATION) में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 553/सत्तर - 3 - 2025 - 1988280 दिनांक 29 मई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/2010 FEDERATION OF LEPY, ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020 - INTERVENTION APPLICATION) में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि शासन के पत्र दिनांक 29.05.2026 के साथ संलग्न न्याय अनुभाग - I के पत्र दिनांक 14.05.2026 के क्रम में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी की ई - मेल आईडी dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को समेकित सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक - यथांक।

भवदीय,

Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 10-06-2026
14:12:15

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांक संख्या - डिग्री विकास/

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

AR (Abbi)

B. Laxmi
21/6/26

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई-मेल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/

/2026 - 27

दिनांक - 12/06/2026

विषय - माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/2010 FEDERATION OF LEPY, ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020 - INTERVENTION APPLICATION) में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 553/सत्तर - 3 - 2025 - 1988280 दिनांक 29 मई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) 83/2010 FEDERATION OF LEPY, ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL - W) (IA No. 38224/2020 - INTERVENTION APPLICATION) में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि शासन के पत्र दिनांक 29.05.2026 के साथ संलग्न न्याय अनुभाग - 1 के पत्र दिनांक 14.05.2026 के क्रम में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना अपोस्टाक्षरी की ई-मेल आईडीO dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को समेकित सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांक संख्या - डिग्री विकास/ 508-89 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

Digitally signed by

GYAN PRAKASH VERMA

Date: 10-06-2026

14:13:04

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

शकीन अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 558 /सत्तर-3-2026 2006547

महत्वपूर्ण

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2 कुन सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 एवं 1151/2017 में पारित आदेशों के अनुपालन में के संबंध में।

संलग्नक दिनांक- 29 मई, 2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक न्याय विभाग के पत्र संख्या-688/सात-न्याय-1-2026 दिनांक 15.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा की गयी कार्यवाही की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प०, प्रयागराज शासन को दिनांक 29-05-2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश से आच्छादित होने के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
(शकीन अहमद सिद्दीकी)
14:43:43
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

आज्ञा से,
(शकीन अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आणखाने प्रकरण/शौच प्रार्थामकता/समयबद्ध/समरण-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या-688/सात-न्याय-1-2026-1927604

लखनऊ : दिनांक 11, मई, 2026

88y

15/05/26

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/खाद्य एवं रसद/आवास एवं शहरी नियोजन/दिव्यांगजन सशक्तिकरण/कार्मिक/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-582/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 20.03.2026 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 (PIL-W) (IA No.38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- पुनः अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में, राज्य में प्रचलित ऐसी विधियों की पहचान करते हुए जिसमें कुष्ठ रोगियों तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां हों, के सम्बंध में विधिक प्राविधानों में उपयुक्त संशोधन हेतु अनुशासा करने के लिए प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की गई 03 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 में निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन के सुझाव दिये गये हैं :-

1. The Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 (U.P. Act No.2 of 1916)
2. The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act No.2 of 1959)
3. The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975 (U.P. Act No.36 of 1975)

3- समिति की उक्त रिपोर्ट की प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-292/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा मूलरूप में समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

इसी क्रम में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-698/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 05.12.2025 द्वारा एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दिनांक 20.11.2025, दिनांक 30.11.2025 एवं NHRC की रिपोर्ट की प्रतियां आपको प्रेषित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि NHRC की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं के संदर्भ में सम्बन्धित विभागों तथा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के आलोक में संदर्भित अधिनियमों (Acts) में यथावश्यक संशोधन समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के स्तर से किया जाना है। प्रकरण में विभागों से प्राप्त अद्यतन सूचना का संक्षिप्त विवरण संलग्न (प्रति संलग्न) है।

5- यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर दिनांक 05.12.2025 को हुई बैठक सहित इस मामले में कई बार निर्देशित किया जा चुका है परन्तु अभी तक इसका अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रश्नगत मामले के मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने की सम्भावना है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से इस आशय की एक brief status report दाखिल की जानी है कि क्या राज्य द्वारा तत्सम्बंधी laws/regulations/rules/circulars etc. में आवश्यक/उपयुक्त संशोधन किए गये हैं या नहीं?

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Digitally signed by
UDCT/2025/2025
Date: 15/05/2026
13:30:57

15/05/26
(आरोपी को)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
उच्च न्यायालय

3707/5(AT)/26

15.05.2026

संख्या-688(1)/सात-न्याय-1-2026-1927604. तांहेनाक

प्रतिलिपि, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
Digitally signed by
MANMEET SINGH SURI
Date: 14.05.2026
13:51:56
विशेष सचिव ।

जाती/श्री 20/03/26
20.03.2026

उत्तर प्रदेश शासन के अधीन के अख्यत ५५३५१/ शास प्रयागकता/समयद

जाती
20/03/26

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-582/सात-न्याय-1-2026-1927604
लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
समाज कल्याण/ नगर विकास/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चिकित्सा
शिक्षा/ ग्राम्य विकास/ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/ खाप एवं रसद/ आवास
एवं शहरी नियोजन/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/ कार्मिक/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक
शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN.
(FOLO)&ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या
1151/2017 (PIL-W) (IA No. 38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में
माओ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मई, 2025 के अनुपालन में, राज्य
में प्रचलित ऐसी विधियों की पहचान करते हुए, जिनमें कुष्ठ रोगियों तथा कुष्ठ रोग से
ठीक हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां हों, के सम्बन्ध में विधिक
प्राविधानों में उपयुक्त संशोधन हेतु अनुशंसा करने के लिए प्रमुख सचिव, विधायी
विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की गई 03 सदस्यीय समिति द्वारा
प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17 जुलाई, 2025 में निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन के
सुझाव दिए गए हैं:-

1. The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act No. 2 of 1916)
2. The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act No. 2 of 1959)
3. The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975 (U.P. Act No. 36 of 1975)

2- समिति की उक्त रिपोर्ट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 292/
पी.एस.एम.एस./2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा मूलरूप में समाज कल्याण विभाग
एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गई थी।

3- इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 698/ पी.एस.एम.एस./2025 दिनांक
04 दिसम्बर, 2025 द्वारा ऐडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2025
(संलग्नक-1) दिनांक 30 नवम्बर, 2025 (संलग्नक-2) एवं NHRC की रिपोर्ट

(संलग्नक-3) की प्रतियां आपको प्रेषित करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। उल्लेखनीय है कि NHRC की रिपोर्ट में उल्लिखित विन्दुओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों तथा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आलोक में सन्दर्भित अधिनियमों (Acts) में यथावश्यक संशोधन समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के स्तर से किए जाने हैं। प्रकरण में विभागों से प्राप्त अद्यतन सूचना का संक्षिप्त विवरण संलग्न (संलग्नक-4) है।

4- इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को हुई बैठक सहित इस मामले में कई बार निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रश्नगत मामले के मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष शीघ्र सूचीबद्ध होने की सम्भावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से इस आशय की एक Brief Status Report दाखिल की जानी है कि क्या राज्य द्वारा तत्सम्बन्धी Laws/ Regulations/ Rules/ Circulars etc. में आवश्यक/ उपयुक्त संशोधन कर लिए गए हैं या नहीं ?

आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त ।


10/11/4/2025
मुख्य सचिव

माननीय उच्चतम न्यायालय में कोटित रिट याचिका (लिपित) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPPY, ORGAN (FOLO) & ANR, VERSUS UNION OF INDIA & OMS.
एच रिट याचिका (लिपित) संख्या-1151/2017 VIDHI CENTRE FOR LEGAL POLICY VS. UNION OF INDIA & OMS के सम्बन्ध में अन्य विभागों से न्याय अनुभाग-1 में प्राप्त
हुए कार्यवाही की अद्यतन आख्या/सूचनाओं का विवरण।

दिनांक 13-05-2026 तक

क्र.सं.	विभाग/अनुभाग का नाम	विभागों से प्राप्त अद्यतन पत्र संख्या व दिनांक	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना/आख्या का संक्षिप्त विवरण
1.	समाज कल्याण अनुभाग-2	सं0-29 2026/ 1967283, दि0 01.04.2026	<p>अवगत कराया गया है कि कुछ रोगियों से सम्बन्धित शेरपाव के उन्मूलन और सामाजिक एकीकरण से सम्बन्धित विन्डु 8090 निष्पुङ्क प्रतिरोध अभियान-1975 की धारा-21 में शेरपाव से सम्बन्धित शब्दों को हटाने से सम्बन्धित विधेयक पर मा10 मंत्रिपरिषद की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु सदन का सकारवाक्य हो जाने के कारण उक्त अनुसूचित विधेयक सदन में पुरःस्थापित नहीं हो पाया है, जिसके दृष्टिगत उक्त अनुसूचित विधेयक को अन्वदेश के रूप में मापू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे भीष ही पूर्ण कर लिया जायेगा।</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि विधायक के कार्य में जंग स्त्रियों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की SMILE योजना की उपयोजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश को पिछाडू विधेयक बनाये जाते हैं। 03 बरसों में कुल 13 बतपद तथा-अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, बाराबंकी, आगरा, गतिवासाद, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं गौतमबुद्ध नगर (गोएडा) का बचन किया गया है तथा 27 जलपट्टों से बचनित स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से विमुक्त के सर्वकार/पुनर्वास और निगरानी से सम्बन्धित कार्य सिले जा रहे हैं।</p> <p>माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा "शूल" सूचना उपलब्ध करायी गयी है।</p>
2.	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 (अधिम)	सं0-1/1280688/2026/ 15-4-2026, 25.03.2026 दि0	<p>इस सम्बन्ध में न्याय अनुभाग-1 के पत्र संख्या-851/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 28.04.2026 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को सूचना कराया गया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में अन्य विभागों सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/एडवाइजरी का विन्डु '4.Elimination of Discrimination and Social Integration' है। अतः प्रस्ताव से एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/एडवाइजरी के उक्त विन्डु के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विन्डु के तन्वी में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध करायी जानी है। प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी सूचना में एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/एडवाइजरी के उक्त विन्डु का संज्ञान नहीं किया गया है।</p> <p>अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 04.12.2025 की प्रति सहित श्री आदर्श उपाध्याय, एडवॉकेट ऑन-रिकार्ड, मा10 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30.11.2025 में विहित 'Briel Summary of NHRC Report on behalf of State of UP: नो संलग्नकर अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करते हुए उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार मा10 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन निवृत्त समयान्तर्गत युग्मित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।</p>

